

अधिसूचना

दिनांक... 10-6-2013

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं0-39 सन्1897) की धारा-6 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 6 के उपनियम (5) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन श्री राज्यपाल मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से निम्नानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम -3(2) के अधीन नामित सदस्य

1. श्री जे0डी0 सिंह, जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंहनगर
2. सुश्री कुमकुम रानी, जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल

नियम -3(3) के अधीन नामित सदस्य

1. डॉ0 पी0सी0 जोशी, विभागाध्यक्ष, न्याय विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय
2. श्री राजेश बहुगुणा, प्रधानाचार्य, देहरादून लॉ कालेज, देहरादून
3. श्री डी0के0 शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
4. श्री अविनन्दा, अधिवक्ता, देहरादून सिविल कोर्ट
5. डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एन0सी0सी0, एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/XXXVI(1)/2013-184/2001 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आसाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से


(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,

संख्या- 153 (2)/XXXVI(1)/2013-184/2001 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

(2)

- 2- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
- 3- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 4- सम्बन्धित सदस्यगण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 6- एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल ।

आज्ञा से


(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

AO

k

~~सदस्य सचिव~~

~~उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण~~

नैनीताल 10-6-2013